अंग प्रत्यारोपण में सुधार

प्रलिम्सि के लयि:

मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधनियिम, 1994 , राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दशिनरि्देश, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO)

मेन्स के लयि:

अंग दान और प्रत्यारोपण - संबंधति नैतकि चतािएँ, अंग प्रत्यारोपण में उभरते मुद्दे।

सरोत: इंडयिन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, **दलि्ली** उच्च न्यायालय ने **जीवति दाताओं से जुड़े अंग प्रत्यारोपण प्रक्रयिाओं को पूरा करने के लयि 6 से 8 सप्ताह की समय सीमा का प्रस्ताव** दयिा है।

- उच्च न्यायालय ने सरकार को मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधनियिम {The Transplantation of Human Organs and Tissues (THOT) Act },1994 और मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नयिम (THOT नयिम), 2014 के अनुसार अंग दान आवेदनों के सभी चरणों के लयि वशिषि्ट समय-सीमा स्थापति करने का नरि्देश दयिा।

मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधनियिम,1994 क्या है?

- **परचिय:**
  - यह कानून भारत में मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण को नयिंत्रति करता है, **जसिमें मृत्यु के बाद अंगों का दान भी शामलि** है।
  - यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अस्पतालों को नयिंत्रति करने वाले नयिम बनाता है तथा उल्लंघन के लयि दंड नरि्धारति करता है।
- **अंग दाता और प्राप्तकर्त्ता:**
  - प्रत्यारोपण **या तो मृत व्यक्तयिों के अंगों से हो सकता है जो उनके रशि्तेदारों द्वारा दान कयिा गया हो या कसिी जीवति व्यक्त सिे हो सकता है** जो प्राप्तकर्त्ता को पता हो।
  - अधकितर मामलों में, अधनियिम माता-पति, भाई-बहन, बच्चों, पत-िपत्नी, दादा-दादी और पोते-पोतयिों जैसे**करीबी रशि्तेदारों से जीवनयापन के लयि दान की अनुमत दिेता** है।
- **दूर के रशि्तेदारों और वदिेशयिों से दान:**
  - **दूर के रशि्तेदारों, ससुराल वालों** या लंबे समय के दोस्तों से परोपकारी दान को **अतरिक्ति जाँच** के बाद अनुमत दिी जाती है ताक यिह सुनश्चिति कयिा जा सके क किोई वत्तिीय वनिमिय न हो।
  - **भारतीयों या वदिेशयिों से जुड़े** करीबी रशि्तेदारों से जीवति दान के साथ उनकी पहचान स्थापति करने वाले दस्तावेज़, परविार और दाता-प्राप्तकर्त्ता संबंध साबति करने फोटोग्राफकि साक्ष्य की शामलि होने चाहयि।
    - **दानकर्त्ताओं और प्राप्तकर्त्ताओं का भी साक्षात्कार लयिा जाता है।**
- **असंबद्ध व्यक्तयिों से दान:**
  - असंबद्ध व्यक्तयिों से दान के लयि प्राप्तकर्त्ता के साथ उनके दीर्घकालकि संबंध या मत्रिता को साबति करने के लयि**दस्तावेज़ों और फोटोग्राफकि साक्ष्य की आवश्यकता** होती है।
  - अवैध लेन-देन को रोकने के लयि **एक बाहरी समत िद्वारा इनकी जाँच** की जाती है।
- **जुर्माना एवं दण्ड:**
  - अंगों के लयि भुगतान की पेशकश करना या भुगतान के लयि उनकी आपूर्त िकरना, ऐसी व्यवस्था शुरू करना, बातचीत करना या वज्ञिापन करना, अंगों की आपूर्त िके लयि व्यक्तयिों की तलाश करना और झूठे दस्तावेज़ तैयार करने में सहयोग करने पर**10 साल तक की जेल तथा 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना** हो सकता है।
- **NOTTO का गठन:**

- **राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (National Organ and Tissue Transplant Organization-NOTTO)** स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य तथा परिवार मंत्रालय के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है।
  - इसे **मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011** के अनुसार अनिवार्य किया गया है।
  - NOTTO का राष्ट्रीय नेटवर्क प्रभाग देश में अंगों और ऊतकों की खरीद तथा वितरण एवं **अंगों व ऊतकों के दान और प्रत्यारोपण की रजिस्ट्री के लिये समन्वय तथा नेटवर्किंग** की अखिल भारतीय गतिविधियों के लिये शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

THOT नियम, 2014 क्या हैं?

- **प्राधिकरण समिति:**
  - वर्ष 2014 के नियमों का नियम 7 **प्राधिकरण समिति के गठन** और उसके द्वारा की जाने वाली जाँच तथा मूल्यांकन की प्रकृति का प्रावधान करता है।
  - नियम 7(3) में कहा गया है कि **समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ऐसे मामलों में कोई वाणिज्यिक लेन-देन शामिल नहीं** है जहाँ दाता और प्राप्तकर्त्ता करीबी संबंधी नहीं हैं।
    - नियम 7(5) कहता है कि यदि प्राप्तकर्त्ता गंभीर स्थिति में है और एक सप्ताह के भीतर प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, तो शीघ्र मूल्यांकन के लिये अस्पताल से संपर्क किया जा सकता है।
- **जीवित दाता प्रत्यारोपण:**
  - जीवित दाता प्रत्यारोपण के लिये नियम 10 आवेदन प्रक्रिया का वर्णन करता है, जिसके लिये दाता और प्राप्तकर्त्ता द्वारा संयुक्त आवेदन की आवश्यकता होती है।
  - **नियम 21 के अनुसार समिति को आवेदकों का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार** करना होगा और दान देने के लिये उनकी पात्रता निर्धारित करनी होगी।

प्राधिकरण समिति क्या है?

- **परिचय:**
  - प्राधिकरण समिति **अंग प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं की देखरेख और अनुमोदन करती है** जिसमें दाताओं तथा प्राप्तकर्त्ताओं को शामिल किया जाता है जो करीबी संबंधी नहीं हैं।
  - यह अनुमोदन महत्त्वपूर्ण है, **खासकर उन मामलों में जहाँ स्नेह, लगाव या अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण अंगों का दान किया जाता है,** ताकि नैतिक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और अवैध प्रथाओं को रोका जा सके।
- **संघटन:**
  - अधिनियम, 1994 की **धारा 9(4)** कहती है, "प्राधिकरण समिति की संरचना ऐसी होगी जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है"।
  - **राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश** "एक या अधिक प्राधिकरण समिति का गठन करेंगे जिसमें ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार तथा केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा नामित किया जा सकता है।"
- **शक्तियाँ:**
  - धारा 9(5) के तहत, **समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्यारोपण अनुमोदन के लिये** आवेदनों की समीक्षा करते समय गहन जाँच करेगी।
  - जाँच का एक महत्त्वपूर्ण पहलू **दाता और प्राप्तकर्त्ता की प्रामाणिकता को सत्यापित करना** है तथा यह सुनिश्चित करना है कि दान व्यावसायिक उद्देश्यों से प्रेरित नहीं है।
- **संसद की भूमिका:**
  - अधिनियम की धारा 24 केंद्र को अधिनियम के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिये **संसदीय अनुमोदन के अधीन** नियम बनाने की अनुमति देती है।
    - ये वे **तरीके तथा शर्तों** से संबंधित हो सकते हैं **जिसके तहत कोई दाता** मृत्यु पूर्व अपने **अंगों को प्रतिरोपित करने की अनुमति दे सकता है।**
    - इसके अतिरिक्त इसमें **मस्तिष्क को मृत घोषित करने की पुष्टि** कैसे की जानी चाहिये अथवा दाता के शरीर से निकाले गए अंगों को संरक्षित करने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये इत्यादि जैसे विषय शामिल हो सकते हैं।

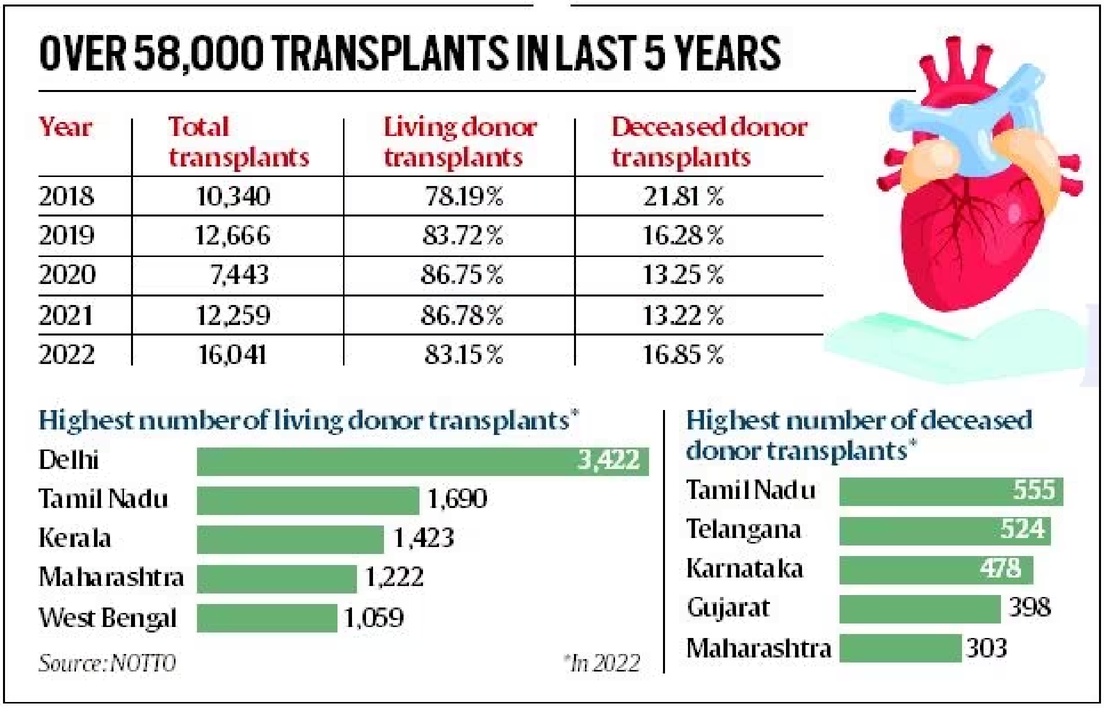

OVER 58,000 TRANSPLANTS IN LAST 5 YEARS

Year	Total transplants	Living donor transplants	Deceased donor transplants
2018	10,340	78.19%	21.81 %
2019	12,666	83.72%	16.28 %
2020	7,443	86.75%	13.25 %
2021	12,259	86.78%	13.22 %
2022	16,041	83.15%	16.85 %

//

उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय लिया?

- **प्राधिकरण समितियों का गठन:**
  - उक्त अधिनियम राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों को नामांकित सदस्यों से युक्त एक अथवा अधिक प्राधिकरण समितियाँ गठित करने का आदेश देता है।
  - उच्च न्यायालय ने अंग प्रतिरोपण प्रोटोकॉल की अखंडता तथा प्रभावशीलता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
- **जीवित दाता प्रतिरोपण आवेदन हेतु समय-सीमा:**
  - उच्च न्यायालय के अनुसार जीवित दाता प्रतिरोपण आवेदनों को संसाधित करने की समय-सीमा **आवेदन की तिथि से 10 दिनों से अधिक नहीं** होनी चाहिये।
  - **अधिकतम 14 दिनों के भीतर न्यायालय द्वारा** ग्राही/प्राप्तकर्त्ता तथा दाता की अधिवास स्थिति से संबंधित दस्तावेज़ों के **सत्यापन का आदेश** दिया जाता है।
  - आवश्यक दस्तावेज़ पूरा करने के लिये दाता अथवा ग्राही को दिये गए किसी भी अवसर को नियमों के तहत **निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचित किया जाना चाहिये।**
- **निर्धारित साक्षात्कार तथा पारिवारिक बैठकें:**
  - **आवेदन प्राप्त होने के चार से छह सप्ताह के बाद** साक्षात्कार दो सप्ताह के भीतर निर्धारित किया जाना चाहिये।
  - साक्षात्कार तथा पारिवारिक बैठक का आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा और साथ ही इस समय-सीमा के भीतर लिये गए निर्णय से अवगत कराना चाहिये।
    - न्यायालय इस बात पर ज़ोर देती है कि पूरी प्रक्रिया की अवधि, **आवेदन करने से लेकर निर्णय तक, आदर्श रूप से छह से आठ सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिये।**
- **सरकार को अनुशंसाएँ:**
  - उच्च न्यायालय ने **प्रासंगिक हितधारकों से परामर्श** करने के बाद अंगदान आवेदनों पर विचार करने के सभी चरणों के लिये समय-सीमा निर्धारित करने को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को निर्णय प्रस्तुत करने को कहा है।

विधिक दृष्टिकोण

[भारत में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित कानून]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/reforming-organ-transplantation